डीजी–परिपत्र संख्या–02 /2020

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः जनवरी 23 ,2020

विषयः– उ0प्र0 पुलिस में विवेचना पुलिस व कानून व्यवस्था पुलिस का पृथक्कीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश में बढ़ रही पुलिस की चुनौतियों, उत्तरदायित्वों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस के कानून व्यवस्था एवं विवेचना कार्यो/उत्तरदायित्वों के पृथक्कीकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर मुख्यालय स्तर से परिपत्र निर्गत किये गये है।

सर्वप्रथम इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–सात–एस–(253)98 दिनांक 21.3.2000 के द्वारा उ0प्र0 पुलिस में विवेचना पुलिस व कानून–व्यवस्था के पृथकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध के परिपत्र संख्या–06/2018 दिनांक 22.05.2018 द्वारा जनपद मुख्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक थाने पर अपराध शाखा गठित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये । इस परिपत्र द्वारा थानों की अपराध शाखा हेतु उपलब्ध पुलिस बल का 20 प्रतिशत विवेचना कार्य के लिये उपलब्ध कराये जाने तथा उनके लिये समुचित संसाधन तथा कार्यालय उपलब्ध कराये जाने की भी निर्देश दिये गये है।

इसी प्रकार अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना के पत्र संख्या–डीजी–चार–स्था0–नियतन/ 2019/301 दिनांक 06.02.19 द्वारा विवेचना की संख्या का मानक निर्धारित किये गये है, जिसमें आई0पी0सी0 एवं 02 एक्ट को एक आई0पी0सी मानकर 70 अपराधों पर 01 उपनिरीक्षक तथा 01 एच0सी0पी0 का नियतन निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त अंकित परिपत्रों में विवेचना कार्य हेतु स्थापित मानदण्डों को संशोधित करते हुये तथा डीजी परिपत्र संख्याः 51/2018 दिनांक 03.10.2018 जिसके द्वारा प्रभारी निरीक्षक (भार साधक अधिकारी) स्तर के थाने में निरीक्षक स्तर के अधिकारी के कर्तव्य निर्धारित किये गये है, को अतिक्रमित करते हुये प्रदेश में पुलिस के कानून–व्यवस्था कार्यो से विवेचना कार्यो को पृथक किये जाने हेतु निम्नाकित व्यवस्था की जाती है। यह व्यवस्था प्रदेश के पुलिस कमिश्नरिएट एवं जनपद के समस्त पुलिस स्टेशन में लागू की जायेगी। यह निर्देश दिनांक 31.1.2020 से प्रभावी किया जायेगा।

प्रदेश के पुलिस कमिश्नरिएट एवं जनपदों के समस्त पुलिस थानें में एक **'विवेचना इकाई'** का गठन किया जायेगा। विवेचना इकाई का प्रभारी, थाने में नियुक्त **'निरीक्षक अपराध'** होगा। यदि निरीक्षक अपराध उपलब्ध नहीं हो तो विवेचना इकाई मे उपलब्ध सबसे वरिष्ठ उपनिरीक्षक विवेचना इकाई का प्रभारी होगा।

'विवेचना इकाई' मे विवेचना एवं अन्य कार्यो हेतु टीमों का गठन किया जायेगा। प्रत्येक टीम की जनशक्ति का मानक निम्नवत होगा–

1.	उपनिरीक्षक		01
2.	आरक्षी		01
3.	महिला आरक्षी	01–02 टीम के लिये	01
		03–05 टीम के लिये	02
		05 से अधिक के लिये	03

इसके अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक स्तर के 968 चिन्हित थानों मे नियुक्त **'निरीक्षक अपराध'** के साथ भी 02 आरक्षी एवं 01 महिला आरक्षी नियुक्त किये जायेगें।

विवेचना इकाई मे नियुक्त प्रत्येक **उपनिरीक्षक/टीम** द्वारा वर्ष मे 40 विवेचनायें की जायेगी। अग्रिम प्रस्तर में वर्णित विवेचना इकाई द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं के वर्ष 2019 की संख्या के आधार पर पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद द्वारा प्रत्येक थाने की विवेचना इकाई में आवश्यकतानुसार **विवेचना टीमों** का गठन/नियुक्ति की जायेगी।

➢ विवेचना ईकाई द्वारा निम्नलिखित अपराधों की विवेचना की जायेगी:

निरीक्षक अपराध द्वारा

- 50 लाख से अधिक के आर्थिक धोखाधडी के अपराध।
- FICN (जाली मुद्रा) के अपराध।
- आई0टी0 एक्ट के अपराध।

यदि किसी थाने मे निरीक्षक अपराध नियुक्त न हो तो उपर्युक्त अपराधों की विवेचना प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी द्वारा की जायेगी।

–विवेचना इकाई की अन्य टीम द्वारा की जाने वाली विवेचनाएं–

- स्पेशल रिपोर्ट प्रकरण(एस0आर0 केसेज़) डीजी परिपत्र संख्या–49/15 के अनुसार (प्रभारी निरीक्षक एवं निरीक्षक अपराध द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं को छोड़कर)
- भादवि के अध्याय 17 के अन्तर्गत धारा 406,407, 408, 409, 420, 424 भादवि एवं अध्याय 18 के अन्तर्गत धारा 465, 467, 468, 471, 472 भादवि।
- पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण।

- राष्ट्र के विरूद्ध किये गये अपराधों के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण।
- एन.डी.पी.एस. अधिनियम के उन अपराधों की विवेचना जिनमे बरामदगी व्यवसायिक मात्रा की श्रेणी मे हो।
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
- संगठित शराब तस्करी, संगठित हथियार तस्करी आदि से संबंधित प्रकरण।
- क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा आवंटित की जाने वाली अन्य विवेचनाएं– यदि किसी थाने की विवेचना टीम के पास वर्ष मे 40 से कम विवेचनाएं हो तो क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस उपायुक्त द्वारा अन्य अपराधों की विवेचना आवंटित की जा सकेगी।

विवेचना इकाई द्वारा सम्पादित की जाने वाली विवेचनाओं के अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं का आवंटन कानून व्यवस्था पुलिस को दिया जायेगा जो पूर्व मे समय–समय पर निर्गत डीजी परिपत्रों के आधार पर होगा।

➢ **<u>विशिष्ट निर्देश–</u>**

- किसी घटना के घटित होने पर कानून व्यवस्था पुलिस द्वारा घटना स्थल पर तत्काल पहुँच कर वर्तमान मे प्रचलित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विवेचना इकाई द्वारा की जाने वाली उपरोक्त अंकित धाराओं के घटित अपराधों मे विवेचना पुलिस भी घटना स्थल पहुँच कर विधिक कार्यवाही करेगी।
- किसी भी अपराध के पंजीकरण के उपरान्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी द्वारा निरीक्षक (अपराध)/वरिष्ठ उपनिरीक्षक(अपराध) से सम्पर्क करके **'विवेचना इकाई'** द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं का आवंटन इकाई मे नियुक्त विवेचकों को किया जायेगा।
- निरीक्षक अपराध, प्रभारी निरीक्षक की अनुस्थिति में दिन व रात्रि में थाने पर मौजूद रहकर उक्त अवधि में प्रभारी निरीक्षक के दायित्यों का निर्वहन करेंगें।
- विवेचना इकाई से किसी भी विवेचना के अन्य इकाई/थाने को स्थानान्तरण करने हेतु प्रचलित नियमों एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये, परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा साथ ही स्थानान्तरित की गयी विवेचना की सूचना से सम्बन्धित अपर पुलिस महानिदेशक जोन एवं पुलिस आयुक्त को अवगत कराया जायेगा। किन्तु किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था पुलिस को विवेचना स्थानान्तरित नही की जायेगी।

➢ **<u>निरीक्षक अपराध/विवेचना इकाई द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अन्य दायित्वः–</u>**

- घटना स्थल में आवश्यकतानुसार जनपद तथा परिक्षेत्र स्तर पर कार्यरत फौरेंसिक टीम का सहयोग प्राप्त करना तथा समस्त साक्ष्य संकलन की कार्यवाही।

• डीजी परिपत्र संख्या–46/2018 मे दिये गये निर्देशानुसार जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त कार्यालय में स्थापित मॉनीटरिंग सेल से समन्वय स्थापित करते हुए मा0 न्यायालय मे विचाराधीन जघन्य अपराधों की प्रभावी पैरवी।

• अभियोजन शाखा से समन्वय स्थापित कर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करना–

1. सम्मन, बीडब्लू, एनबीडब्लू का तामीला एवं समय पर न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
2. अभियुक्तों के रिमाण्ड की कार्यवाही।
3. जमानतदारों का सत्यापन एवं बाद सत्यापन मा0 न्यायालय मे आख्या प्रस्तुत करना।
4. जमानत पर रिहा अभियुक्तों के द्वारा जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही।
5. विवेचना इकाई द्वारा की जा रही विवेचनाओं में आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही।

• सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

• मालों को मा0 न्यायालय मे समय से प्रस्तुत करना एवं समस्त प्रकार के मालों का विधिक निस्तारण कराना।

• पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/दायित्वों का निर्वहन।

➢ **<u>विवेचना इकाई का पर्यवेक्षणः–</u>**

• निरीक्षक अपराध द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं की समस्त केस डायरी प्रभारी निरीक्षक के माध्यम से क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त को भेजी जायेगी।

• विवेचना इकाई द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं की केस डायरी एवं अन्य अभिलेखों को निरीक्षक अपराध(जहॉ पर निरीक्षक अपराध नियुक्त नही है, ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी के द्वारा) सीधे सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के पास भेजा जायेगा किन्तु अन्तिम पर्चा(केस डायरी) एवं आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक के माध्यम से ही सहायक पुलिस उपायुक्त/क्षेत्राधिकारी को भेजा जायेगा।

• **विवेचना की कार्ययोजना–** विवेचना इकाई द्वारा सम्पादित की जाने वाली समस्त विवेचनाओं की कार्ययोजना थाना प्रभारी निरीक्षक के माध्यम से ही तैयार कराकर क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त को प्रेषित की जायेगी ताकि गुणवत्तापरक विवेचनाएं सम्पादित की जा सकें।

➢ **<u>विवेचना इकाई में नियुक्ति/कार्यकालः–</u>**

प्रक्रिया– पुलिस उपायुक्त/जनपद प्रभारी के अधीन गठित जनपदीय पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा ही विवेचना इकाई में कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी। चयन/नियुक्ति के समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जायेगा–

- इच्छुक कर्मचारी को वरीयता दी जाये
- उ0नि0 की शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक हो
- विधि स्नातक को वरीयता दी जाये
- आरक्षी जो स्नातक हो एवं पूर्व में इनके द्वारा विवेचना में सहयोग का अनुभव हो उनको वरियता दी जाए।
- ऐसे उ0नि0/आरक्षी जो सीसीटीएनएस/आईसीजेएस की जानकारी रखते हों अथवा प्रशिक्षण प्राप्त हों, उनको वरीयता दी जाये
- चयनित उपनिरीक्षक/आरक्षी की आम शोहरत अच्छी हो।

कार्यकाल–

- विवेचना इकाई में नियुक्ति की अवधि न्यूनतम 02 वर्ष की होगी।
- निर्धारित कार्यकाल से पूर्व विवेचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियो का स्थानान्तरण पदोन्नति अथवा थानाध्यक्ष बनने की दशा मे ही किया जायेगा।
- विवेचना इकाई मे रिक्त होने वाले पदों की पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल पूर्ति की जायेगी, किसी भी दशा मे पद रिक्त न रखे जाय।
- विवेचना इकाई मे नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्तयः जनपद की कानून व्यवस्था ड्यूटी में नहीं लगाया जायेगा। विवेचना इकाई के अधिकारी/कर्मचारी को केवल प्राकृतिक आपदा/चुनाव डियूटी मे ही सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक की पूर्वानुमति लेकर अपरिहार्य स्थिति में आवश्यकतानुसार डियूटी पर एक निर्धारित अवधि (एक वर्ष में अधिकतम 28 दिवस) के लिए लगाया जा सकेगा।
- विवेचना इकाई से विवेचनाओं मे भ्रष्टाचार या गम्भीर अनियमितता के आधार पर कर्मचारियों को जनपद पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा हटाया जा सकेगा साथ ही ऐसी कार्यवाही मे जांच अवश्य करायी जाय। विवेचना इकाई में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को चौकी प्रभारी/हल्का प्रभारी/हल्का मुख्य आरक्षी/आरक्षी के दायित्व नही सौपे जायेंगें।

➢ **प्रशिक्षण**–

- किसी उपनिरीक्षक को विवेचना इकाई मे नियुक्त करने से पूर्व या उपरान्त लगभग 10 दिन का विवेचना कार्य का गहन प्रशिक्षण दिया जाये। जिसमें निम्नलिखित विषयों का व्यवहारिक ज्ञान अवश्य कराया जाये।
- गम्भीर मुकदमों की विवेचनायें कैसे की जाये तथा ऐसे मुकदमों की विवेचनाओं में उत्पन्न होने वाली समस्याओं निराकरण कैसे किया जाये।

- जिन मुकदमों की विवेचनायें उन्हें करनी है, उनके सम्बन्ध में कानूनी राय विशेष कर न्यायालयों के निर्णयों आदि की जानकारी दिया जाना।
- विधि विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जानकारी।
- विवेचित मुकदमों की न्यायालयों मे पैरवी तथा अभियोजन से पर्याप्त सहयोग।
- अन्य प्रशासनिक व व्यवहारिक मामलों की जानकारी।
- अपराधिक अभिलेखों का एकत्रीकरण व उनका साक्ष्य मे उपयोग।
- सीसीटीएनएस/आईसीजेएस का प्रशिक्षण।
- साक्ष्यों के अभाव मे विभिन्न मामलों मे उन्मोचन आख्या (ACQUITTAL REPORT) का अध्ययन एवं जानकारी प्रदान किया जाना।
- यह प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण केन्द्र अथवा प्रशिक्षण विभाग के अधीन विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानो के माध्यम से प्रशिक्षण।

नवीनीकरण प्रशिक्षण–

- विवेचनाधिकारी को वर्ष में कम से कम एक बार जनपद मुख्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में 03 दिवस का "नवीनीकरण प्रशिक्षण" अवश्य दिलाया जाय जिसमें पुलिस उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा विधि विज्ञान इकाई के अधिकारी व्याख्यान देंगें। प्रशिक्षण में उन्ही बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाये जिनका उल्लेख प्रथम नियुक्ति की दौरान प्रशिक्षण के सम्बन्ध में किया गया है।
- संयुक्त पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक भी उपर्युक्त प्रशिक्षण की समीक्षा करते रहेंगें तथा स्वयं भी समय–समय पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित होगें ताकि विवेचको की उच्चकोटि की विवेचना क्षमता बनी रहें।

➢ **संसाधन–**

विगत वर्ष (2019) के गम्भीर अपराधों की संख्या के आधार पर थानों को 03 श्रेणी ए, बी, सी मे वर्गीकृत गया है। (सूची संलग्न–संलग्नक–1) श्रेणीवार उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता निम्नवत है–

- ए श्रेणी के थानों में 01 चार पहिया तथा 03 दो पहिया वाहन।
- बी श्रेणी के थानों में 01 चार पहिया तथा 02 दो पहिया वाहन।
- सी श्रेणी के थानों में 01 चार पहिया तथा 01 दो पहिया वाहन।
- निरीक्षक अपराध को 01 टैबलेट/लैपटॉप।
- प्रत्येक विवेचना इकाई को 01 टैबलेट/लैपटाप, 01 डेस्कटाप (यूपीएस सहित), 01 प्रिन्टर, 01 स्कैनर।

पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद द्वारा **'विवेचना इकाई'** को आवश्यक संसाधन उनके स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से उपलब्ध करेंगे तथा कम पड़ने पर संसाधनों/पुलिस बल की मांग पत्र पुलिस मुख्यालय/लाजिस्टिक/ स्थापना शाखा को अविलम्ब भेजेगे।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन दिनांक 31.1.2020 तक सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही विषयक आख्या अपने–अपने जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक जोन/आयुक्त द्वारा संकलित अनुपालन आख्या अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध)उ0प्र0 को दिनांक 07.02.2020 तक प्रेषित करेगे। पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन का यह दायित्व होगा कि इस आदेश का क्रियान्यवन अपने निकट पर्यवेक्षण में करायेंगे । जनपदों द्वारा इस कार्य में शिथिलता/लापरवाही बरतने पर अपने स्तर से समुचित कार्यवाही करेंगे तथा मुख्यालय के संज्ञान में लाने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

भवदीय,

23.1.20

(ओ0पी0 सिंह)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/पुलिस मुख्यालय /लाजिस्टिक/स्थापना,मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्त जनपदों की संकलित सूचना दिनांक 31–01–2020 तक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।